

कार्यालय, नगर पालिका परिषद् जाँजगीर-नैला
जिला जाँजगीर-चाम्पा (छ.ग.)
Email id - janjgirmailacmo@gmail.com

20

क्र. १२०३ कालोनी./न.पा.प./2023-24

जाँजगीर-नैला, दिनांक 26.04.24

प्रारूप - नौ
(नियम 11 देखिये)

दिनांक 26.04.24 कालोनी के विकास की अनुमति

अनुमति क्रमांक 203

छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम 1956/छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 और उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ निगम तथा नगरपालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तों) नियम 2013 के अधीन तथा नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्याधीन रहते हुए श्री राकेश कुमार गुप्ता पिता स्व. श्री रामपाल गुप्ता ग्राम जाँजगीर जिला जाँजगीर-चाम्पा (छ.ग.) का पटवारी हल्का नंबर 07 खसरा क्रमांक 15000 रकबा 0.3480 हेक्टेयर के वार्ड क्रमांक 10 में स्थित आवासीय कालोनी में कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

01. शहरी भूमि सीमा अधिनियम 1979 के प्रावधानों के अंतर्गत समस्त अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा।

02. छ.ग. भू-राजस्व 1959 के अंतर्गत भू-व्यपवर्तन की शर्तों का पालन करना होगा।

03. छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तों का पालन करना होगा।

04. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये भू-खण्डों/भवन का विकास/निर्माण प्रथमतः करना होगा।

स्थान - जाँजगीर-नैला

दिनांक - 26.04.24

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् जाँजगीर-नैला
Distt. Janjgir-Champa (C.G.)

रकेश गुप्ता